न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर, मुण्डावर(अलवर)

पीठासीन अधिकारी :– अशोक कुमार सांखला (R.A.S.)

प्रार्थना पत्र सख्या	रजू दिनांक	निर्णय दिनांक
03/2017	06.01.2017	07.04.2017

उनवान

1 सन्तोष पुत्री गोपीनाथ जाति ब्राह्मण निवासी मुण्डावर तहसील मुण्डावर जिला अलवर हाल आबाद 26 कृष्णा कालोनी, काला कुआं, अलवर (राज0)

–: प्रार्थिया

बनाम

1 अशोक
2 अमित पुत्रान गोपीनाथ जातियान ब्राह्मण निवासीयान 130 शिल्पी कॉलोनी, झोटवाड़ा जयपुर,
3 राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार, मुण्डावर तहसील मुण्डावर जिला अलवर

–: अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राज0 काश्तकारी अधि0

उपस्थिति :– 1– श्री गंगाराम पटेल, प्रार्थिया वकील
2– श्री रणवीर सिंह यादव, वकील अप्रार्थी सं0 01 व 02

.....

–: निर्णय :–

दिनांक :– 07.04.2017

1. प्रार्थिया का सारतः प्रार्थना पत्र रहा कि :–

1. यह है कि आराजी खं0नं0 2520 रकबा 0.50 है0 वाके ग्राम मुण्डावर तहसील मुण्डावर में स्थित है। जिस आराजी का 0.46 है0 प्रार्थना पत्र विवादित आराजी कहलाएगी। विवादित आराजी मिन प्रार्थिनी और अप्रार्थी सं0 01, 02 की सामलाती खातेदारी की आराजी है। मौके पर सामलात में काबिज है। जो मुतक पिता गोपीनाथ के फौत होने के बाद विरासत में प्राप्त हुई है तथा हम पक्षकारान में कोंई लिखित मौखिक बंटवारा नहीं हुआ है। अप्रार्थी सं0 01 व 02 दीगर लोगो से मिलकर उक्त आराजी पर निर्माण करने पर उतारू है। उक्त आराजी मुण्डावर–सोडावास से लगती हुई भूमि है। कानूनन भी मिन प्रार्थी का सामलाती आराजी में हर इंच–इंच पर कब्जा माना गया है। अब सामलात में काश्त करना नामुमकिन हो रहा है। प्रार्थिनी दिनांक 01.01.2017 को अपनी सामलाती आराजी को सम्भालने गई तो अप्रार्थी सं0 01 व 2 ने दीगर लोगो से कहकर दीगर मिन प्रर्थिनी सामलाती काश्त करने में बाधा उत्पन्न की और उक्त आराजी में निर्माण करने की धमकी दी। बस यही तारीख बिनायदावी व बिनायमुखस्मत पैदा होकर प्रार्थना पत्र तकासमा हु0ई0 दवामी पेश करना लाजिम आया। प्रार्थिनी के खातेदार अधिकार कानून द्वारा सुरक्षित है। इसलिए उक्त आराजी में से अपने 1/3 भाग को बाई मीट्स एण्ड फाउण्डस्, अच्छी में से अच्छी बाद कुरेजात के तकासमा कराकर तकासमा की फाईनल डिक्री प्राप्त करने की अधिकारिणी है।

उपखण्डाधिकारी
मुण्डावर (अलवर) राज0

Scanned by CamScanner

अतः प्रार्थना है कि अप्रार्थीगण को ताफैसला प्रार्थना पत्र स्थायी निषेधाज्ञा से इस अमर से पाबन्द फरमाया जावे कि हाल आ0ख0नं0 2520 रकबा 0.50 ऐयर वाके ग्राम मुण्डावर तहसील मुण्डावर का 0.46 भाग को दीगर जगह रहन, बैय करे, ना कोई निर्माण करे, मौके की यथा स्थिति बनाए रखें का निवेदन किया

2. प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिए समन तलब किया गया। बाद सूचना अप्रार्थी सं0 01 व 02 ने जरिए अधिवक्ता इस प्रकार जवाब पेश किया कि आराजी मुतनाजा राजस्व रिकॉर्ड में सामलाती दर्ज है। परन्तु मौके पर विभाजन हो रहा है। आराजी मुतनाजा विरासत दर्ज होते ही कुछ दिन बाद प्रार्थिका ने गांव के करीब 10 व्यक्तियों के साथ जाकर अपना हिस्सा ले लिया था तक से वही हिस्सा प्रार्थिया के पास है। प्रार्थिया ने यह विभाजन सन् 2007 में कर लिया था। आराजी मुण्डावर–सोडावास से लगती है आराजी के पूर्व भाग में पानी भरता था इसलिए प्रार्थिया ने पश्चिम भाग इंगित किया और अप्रार्थीगण ने वही भाग दे दिया था एवं पूर्वी हिस्सा 2/3 भाग अप्रार्थीगण ने ले लिया था। पानी भराव के कारण अप्रार्थीगण ने उसमें भरत करवाया एवं उसके बाद एक दुकान का निर्माण किया गया है। अब प्रार्थिया के मन में बदयान्ती आ रही है, जो कि विभाजन से मना कर प्रार्थना पत्र पेश किया है। अतः जवाब प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन किया है कि कुरे रिपोर्ट मंगाई जाकर मौका कब्जा के अनुसार प्रार्थना पत्र का निर्णय किया जावे।

3. बहस वकीलवादी सुनी गई।

4. पत्रावली, पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों का अवलोकन किया गया। बहस वकील उभय पक्षकारान पर मनन किया गया। दौराने बहस वकील प्रार्थी का कथन रहा कि विवादित आराजी का विधिवत तकासमा हो जाने तक पूर्व में जारी स्थगन आदेश संपुष्ठ किया जावे। अन्यथा मौके की स्थिति निर्माण कार्य होने से बदल जाएगी। इस बाबत आर.एल.डी. 2010, आर.एल.डब्ल्यू 2012, आर.आर.डी.2010 की नजीरे पेश की एवं वकील अप्रार्थी ने प्रार्थिया स्वयं द्वारा वर्ष 2007 में मौके पर बंटवारा का निवेदन करते हुए, अप्रार्थीगण को प्राप्त हिस्से रकबे का समतल बनाए जाने एवं मौके पर एक दुकान का निर्माण किए जाने तथा अप्रार्थीया द्वारा अब पूर्व में स्वयं द्वारा किए गए बंटवारे को मना कर प्रार्थना पत्र पेश किए जाने की स्थिति में पूर्व में जारी पूर्व जारी एकपक्षीय स्थगन आदेश को निरस्त किए जाने का निवेदन किया। इस प्रकार प्रार्थीया द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र एवं दस्तावेजात एवं दौराने बहस पूर्व में जारी सुनि आदेश को ताफैसला दावा संपुष्ठ किए जाने के निवेदन एवं प्रस्तुत नजीरों से प्रार्थीया का प्रार्थना पत्र प्रथम दृष्टया प्रकरण का बिन्दू एवं सुविधा के संतुलन का बिन्दू प्रार्थीया के पक्ष में होकर अप्रार्थीण के विरूद्ध साबित होता है। ताकि मौके की सूरत यथावत बनी रहे और मूल वाद के निर्णय में सहयोग में शामिल रहे। इस प्रकार प्रथम दृष्टया का प्रकरण एवं सुविधा का संतुलन दोनो ही बिन्दू प्रार्थीया के पक्ष में साबित होने की स्थिति में नापूर्ति होने वाली क्षति का बिन्दू भी अप्रार्थीगण के विरूद्ध होकर प्रार्थीया के हक में साबित होता है। इस प्रकार यह न्यायालय प्रार्थीया के प्रार्थना पत्र को स्वीकार पाता है।

उपखण्डाधिकारी
मुण्डावर (अलवर) राज0

Scanned by CamScanner

–: आदेश :–

न्यायालय प्रार्थीया के प्रार्थना पत्र को उपरोक्त विवेचन के आधार पर साबित पाए जाने पर पूर्व में जारी स्थगन आदेश को मूल वाद के निर्णय तक यथावत रखना उचित समझता है तथा अप्रार्थीगण को हु0ई0दवामी से पाबन्द किया जाता है कि वे विवादित आराजी ख0नं0 2520 वाके ग्राम मुण्डावर को दीगर जगह रहन, बैय ना करें, ना कोई निर्माण कार्य करें, मौके की यथास्थिति बनाए रखें।

यह निर्णय आज दिनांक 07.04.2017 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर बाद हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से जारी कर खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

(अशोक कुमार सांखला)
उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन सहायक कलक्टर, मुण्डावर

उपखण्ड़ाधिकारी
मुण्ड़ावर (अलवर) राज०

Scanned by CamScanner